

**जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**  
**मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।**

**वित्तीय वर्ष-20.....-20.....**

पासपोर्ट साईज का  
रंगीन फोटो

दो दुधारू गाय/भैंस वितरण की योजना हेतु 75% अनुदान एवं 25% लाभुक अंशदान पर सभी महिला लाभुक (आपदा/आगलगी से प्रभावित परिवार की महिला/सडक दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला/परित्यक्त/दिव्यांग महिला को छोड़ कर) जो 25% लाभुक अंशदान लगाने में सक्षम हों एवं जिसकी स्व-घोषणा पत्र लाभुक द्वारा देनी होगी।

परियोजना लागत	अनुदान 75%	लाभुक अंशदान 25%	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	द्वितीय चरण लाभुक अंशदान
<b>1,35,050.00</b>	<b>1,01,287.50</b>	<b>33,762.50</b>	<b>51,112.50</b>	<b>17,037.50</b>	<b>50,175.00</b>	<b>16,725.00</b>

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दो दुधारू गाय/भैंस वितरण की योजनान्तर्गत 75% अनुदान सह 25% लाभुक अंशदान पर चयन के संबंध में (योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है)।

**आवश्यक विवरणी**

1. आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति-SC/ST/Others.....
4. पूरा पता-ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं०..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान लगाने हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. बैंक का नाम:-.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में दुधारू पशु की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सहमति - हाँ  नहीं
11. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार करना चाहती हूँ।
12. पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत अभिसरण से किया जायेगा।
13. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (राज्य/केन्द्र प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दी जा रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

आवेदिका का हस्ताक्षर

**ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा**

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....पिता/पति.....ग्राम.....  
पंचायत.....डाकघर.....प्रखण्ड.....जिला..... आवेदक इस  
ग्राम के स्थानीय निवासी है एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं। इनको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत 02 दुधारू गाय/भैंस की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा/पंचायत समिति से अनुशंसित एवं योग्य लाभुक है साथ ही साथ लाभुक को मनरेगा से 02 गाय/भैंस का पशु शेड निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर

**सभी महिला आवेदकों के लिये अंचल अधिकारी द्वारा भूमि स्वामित्व एवं लघु सीमान्त बिरसा कृषक प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि खाता नम्बर.....सर्वे संख्या.....ग्राम.....  
कुल रकबा.....श्री/श्रीमती.....रजिस्टर-2 में दर्ज रैयत है। श्रीमती (आवेदक).....  
.....का.....का संबंध है। वंशावली के आधार पर आवेदिका के हिस्से में .....रकबा भूमि आती है। लाभुक लघु सीमान्त कृषक श्रेणी के है/नहीं है।

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:-**

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड प्रमुख का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:-

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष-20.....-20.....

पासपोर्ट साईज का  
रंगीन फोटो

दो दुधारू गाय/भैंस वितरण की योजना हेतु 90% अनुदान एवं 10% लाभुक अंशदान पर आपदा/आगलगी से प्रभावित परिवार की महिला/सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला/परित्यक्त/दिव्यांग महिला जो 10% लाभुक अंशदान लगाने में सक्षम हों एवं जिसकी स्व-घोषणा पत्र लाभुक द्वारा देनी होगी।

परियोजना लागत	अनुदान 90%	लाभुक अंशदान 10%	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	द्वितीय चरण लाभुक अंशदान
1,35,050.00	1,21,545.00	13,505.00	61,335.00	6,815.00	60,210.00	6,690.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दो दुधारू गाय/भैंस वितरण की योजनान्तर्गत 90% अनुदान सह 10% लाभुक अंशदान पर चयन के संबंध में (योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है)।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति-SC/ST/Others..... (आपदा/अगलगी/सड़क दुर्घटना/परित्यक्त/दिव्यांग से सम्बद्ध हो)
4. पूरा पता-ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं०..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान लगाने हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. बैंक का नाम:-.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में दुधारू पशु की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सहमति - हाँ  नहीं
11. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार करना चाहती हूँ।
12. पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत अभिसरण से किया जायेगा।
13. ग्राम सभा/पंचायत समिति कि अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (केन्द्र प्रायोजित/राज्य प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दी जा रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

आवेदिका का हस्ताक्षर

### ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....पिता/पति.....ग्राम.....  
पंचायत.....डाकघर.....प्रखण्ड.....जिला..... आवेदक इस  
ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग /अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं। इनको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत 02 दुधारू गाय/भैंस की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा/पंचायत समिति से अनुशंसित एवं योग्य लाभुक है साथ ही साथ लाभुक को मानरेगा से 02 गाय/भैंस का पशु शेड निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर

सभी महिला आवेदकों के लिये अंचल अधिकारी द्वारा भूमि स्वामित्व एवं लघु सीमान्त बिरसा कृषक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खाता नम्बर.....सर्वे संख्या.....ग्राम.....

कुल रकबा.....श्री/श्रीमती.....रजिस्टर-2 में दर्ज रैयत है। श्रीमती (आवेदक).....  
.....का.....का संबंध है। वंशावली के आधार पर आवेदिका के हिस्से में .....रकबा भूमि  
आती है। लाभुक लघु सीमान्त कृषक श्रेणी के है/नहीं है।

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:-

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड प्रमुख का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:-

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष-20.....-20.....

कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत 5 दुधारू गाय (मिनी डेयरी)/भैंस वितरण की योजना हेतु 50% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 50% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण एवं 75% अनुदान (एस० सी०/एस० टी०/ दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य/लघु उद्यमी/युवा शिक्षित बेरोजगार/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान या बैंक ऋण राशि लगाने/बैंक ऋण की स्वीकृति कराने में सक्षम हों जिसकी स्व-घोषणा पत्र लाभुक द्वारा स्वयं देनी होगी।

पासपोर्ट साईज का  
रंगीन फोटो

परियोजना लागत	50% अनुदान	50 % लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	50 % द्वितीय चरण लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण
3,37,625.00	1,68,812.50	1,68,812.50	1,01,912.50	1,01,912.50	66,900.00	66,900.00
परियोजना लागत	75% अनुदान	25 % लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	25 % द्वितीय चरण लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण
3,37,625.00	2,53,219.00	84,406.00	1,52,869.00	50,956.00	1,00,350.00	33,450.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना 5 दुधारू गाय (मिनी डेयरी)/भैंस वितरण योजनान्तर्गत 50% अनुदान एवं 50% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण एवं 75% अनुदान एवं 25% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण पर चयन के संबंध में (योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है)।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति-SC/ST/Others.....
4. पूरा पता-ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं०..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान/बैंक ऋण लगाने हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि बैंक ऋण है तो बैंक का नाम एवं शाखा.....(जिस बैंक से ऋण लेना है)
8. बैंक का नाम:-.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में दुधारू पशु की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. आवेदक/आवेदिका द्वारा चयनित एक योजना का नाम .....(उपरोक्त योजना में से किसी एक ही योजना का चयन करना है)
11. हरा चारा उत्पादन करने हेतु उपलब्ध जमीन का रकबा (एकड़ में).....
12. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार करना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
13. पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत अभिसरण से किया जायेगा।
14. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (राज्य /केन्द्र प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है/रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पाया गया/पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

लाभुक का हस्ताक्षर

### ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....

ग्राम.....पंचायत.....डाकघर.....प्रखण्ड.....

जिला.....आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग /अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं। इनको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत 05 दुधारू गाय/भैंस की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा/पंचायत समिति से अनुशंसित एवं योग्य लाभुक है साथ ही साथ लाभुक को मनरेगा से 05 गाय /भैंस का पशु शेड निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर

## आवेदकों के लिये अंचल अधिकारी द्वारा भूमि स्वामित्व एवं लघु सीमान्त बिरसा कृषक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खाता नम्बर.....सर्वे संख्या.....ग्राम.....  
कुल रकबा.....श्री/श्रीमती.....रजिस्टर-2 में दर्ज रैयत है।  
श्री/श्रीमती (आवेदक/आवेदिका).....का.....का संबंध है। वंशावली के  
आधार पर आवेदक/आवेदिका के हिस्से में .....रकबा भूमि आती है। लाभुक लघु सीमान्त कृषक श्रेणी के है/नहीं है।

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

### प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:-

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड प्रमुख का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

### गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:-

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

### स्व-घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....पिता/पति का नाम .....  
उम्र.....जाति(ST/SC/Other).....ग्राम.....पोस्ट.....  
पंचायत.....प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....  
आधार नं०.....बैंक खाता सं०.....  
बैंक का नाम व शाखा.....IFSC कोड.....  
मोबाईल नं०.....

(पुरे होशो-हवास एवं स्वच्छ चित्त मन से) शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- राज्य/केन्द्र सरकार की किसी भी योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार का दुधारू मवेशी क्रय हेतु में अथवा मेरे परिवार (JSFSS/NHFS अन्तर्गत परिभाषित) के किसी सदस्य द्वारा अनुदान की सुविधा प्राप्त नहीं की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु का क्रय अपने जीविकोपार्जन एवं दूध उत्पादन हेतु कर रहा/रही हूँ।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु मैं अपना Escrow Account खुलवाने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत योजना से लाभान्वित होने हेतु मुझे चयन किए जाने की सूचना प्राप्त होने के एक (01) माह के अन्दर लाभुक अंशदान की राशि मेरे द्वारा Escrow Account में जमा कर रसीद की छायाप्रति जिला गव्य विकास कार्यालय में जमा करूँगा/करूँगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में मेरे स्थान पर प्रतिक्षा सूची में अंकित अन्य लाभुक को योजना का लाभ दे दिया जा सकता है, जिसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- मेरे बैंक खाता Escrow Account में जमा की जानेवाली अनुदान राशि तथा लाभुक अंशदान की राशि की निकासी तथा उपयोग दुधारू पशु क्रय के उपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमति पश्चात करूँगा/करूँगी।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वैसे लाभुक, जो योजना का लाभ लेने में असमर्थता प्रकट करेंगे उन्हें स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि किन कारणों से योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी दुधारू पशुओं की बिक्री अथवा किसी को हस्तांतरित नहीं करूँगा/करूँगी।
- योजना के लाभुक के रूप में चयनित होने पर मेरे द्वारा (Escrow Account/• Dedicated Account) खाते में निर्धारित लाभुक अंशदान सरकारी अनुदान (D.B.T.) के पूर्व एक माह के अन्दर जमा करा दिया जायेगा।

उपर्युक्त कंडिका 1 से 8 में अंकित कथन पूर्णतः सत्य है एवं स्व-घोषणा पत्र मैं (पुरे होशो-हवास में) बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के तैयार कर के दे रहा/रही हूँ।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

गवाह:-

- नाम एवं पता.....  
.....हस्ताक्षर.....
- नाम एवं पता.....  
.....हस्ताक्षर.....

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष-20.....-20.....

पासपोर्ट साईज का  
रंगीन फोटो

कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजनान्तर्गत 10 दुधारू गाय (मिडी डेयरी)/भैंस वितरण की योजना हेतु 50% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 50% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण एवं 75% अनुदान (एस० सी०/एस० टी०/दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य/लघु उद्यमी/युवा शिक्षित बेरोजगार/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान या बैंक ऋण राशि लगाने/बैंक ऋण की स्वीकृति कराने में सक्षम हों जिसकी स्व-घोषणा पत्र लाभुक द्वारा स्वयं देनी होगी।

परियोजना लागत (रु०)	50% अनुदान	50 % लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	50 % द्वितीय चरण लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण
6,75,250.00	3,37,625.00	3,37,625.50	1,70,375.00	1,70,375.00	1,67,250.00	1,67,250.00
परियोजना लागत (रु०)	75% अनुदान	25 % लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण	प्रथम चरण अनुदान	प्रथम चरण लाभुक अंशदान	द्वितीय चरण अनुदान	25 % द्वितीय चरण लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण
6,75,250.00	5,06,437.00	1,68,813.00	2,55,562.00	85,188.00	2,50,875.00	83,625.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना 10 दुधारू गाय (मिडी डेयरी)/भैंस वितरण योजनान्तर्गत 50% अनुदान एवं 50% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण एवं 75% अनुदान एवं 25% लाभुक अंशदान/ बैंक ऋण पर चयन के संबंध में (योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है)।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति-SC/ST/Others.....
4. पूरा पता-ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं०..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान/बैंक ऋण लगाने हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि बैंक ऋण है तो बैंक का नाम एवं शाखा.....(जिस बैंक से ऋण लेना है)
8. बैंक का नाम:-.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में दुधारू पशु की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. आवेदक/आवेदिका द्वारा चयनित एक योजना का नाम .....(उपरोक्त योजना में से किसी एक ही योजना का चयन करना है)
11. हरा चारा उत्पादन करने हेतु उपलब्ध जमीन का रकबा (एकड़ में).....
12. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार करना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
13. पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत अभिसरण से किया जायेगा।
14. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (राज्य /केन्द्र प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है/रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पाया गया/पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

लाभुक का हस्ताक्षर

### ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....

ग्राम.....पंचायत.....डाकघर.....प्रखण्ड.....

जिला.....आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग /अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं। इनको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत 10 दुधारू गाय/भैंस वितरण की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा/पंचायत समिति से अनुशंसित एवं योग्य लाभुक है साथ ही साथ लाभुक को मानरेगा से 10 गाय /भैंस का पशु शेड निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष-20.....-20.....

पशु आहार एवं चारा विकास योजनान्तर्गत हस्त चालित चैफ कटर की योजना हेतु 75% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% लाभुक अंशदान उपलब्ध कराया जाना है। हस्त चालित चैफ कटर के लिए न्यूनतम 5 उन्नत/संकर नस्ल के दुधारु गाय धारित पशुपालक ही आवेदन कर सकते हैं। जो लाभुक अंशदान देने में सक्षम हों एवं जिसकी स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

पासपोर्ट साईज का  
रंगीन फोटो

क्र० सं०	विवरण	अनुमानित इकाई दर (रु०)	सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए		एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए	
			75% सरकारी अनुदान	25% लाभुक अंशदान	90% सरकारी अनुदान	10% लाभुक अंशदान
1	हस्त चालित चैफ कटर	₹ 8,000.00	₹ 6,000.00	₹ 2,000.00	₹ 7,200.00	₹ 800.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु आहार एवं चारा विकास योजनान्तर्गत हस्त चालित चैफ कटर की योजना हेतु 75% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% लाभुक अंशदान पर चयन के संबंध में।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति-SC/ST/Others.....
4. पूरा पता-ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं० ..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. बैंक का नाम:-.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में उन्नत/संकर नस्ल की दुधारु पशुओं की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. आवेदक/आवेदिका के साथ कुल गायों का फोटो देना अनिवार्य होगा।
11. हरा चारा उत्पादन करने हेतु उपलब्ध जमीन का रकवा (एकड़ में).....
12. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर अपने दुधारु गायों को हरा चारा काट कर खिला सकूँ।
13. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (राज्य /केन्द्र प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है/रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पाया गया/पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

लाभुक का हस्ताक्षर

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनुशंसा:-

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर

मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:-

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का

प्रखण्ड प्रमुख का

हस्ताक्षर एवं मुहर

हस्ताक्षर एवं मुहर

हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:-

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष—20.....—20.....

पशु आहार एवं चारा विकास योजनान्तर्गत विद्युत चालित चैफ कटर की योजना हेतु 75% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% लाभुक अंशदान उपलब्ध कराया जाना है। विद्युत चालित चैफ कटर के लिए न्यूनतम 10 उन्नत/संकर नस्ल के दुधारु गाय धारित पशुपालक ही आवेदन कर सकते हैं। जो लाभुक अंशदान देने में सक्षम हों एवं जिसकी स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो

क्र० सं०	विवरण	अनुमानित इकाई दर (रु०)	सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए		एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए	
			75% सरकारी अनुदान	25% लाभुक अंशदान	90% सरकारी अनुदान	10% लाभुक अंशदान
1	विद्युत चालित चैफ कटर	₹ 20,000.00	₹ 15,000.00	₹ 5,000.00	₹ 18,000.00	₹ 2,000.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:— मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु आहार एवं चारा विकास योजनान्तर्गत विद्युत चालित चैफ कटर की योजना हेतु 75% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% पर चयन के संबंध में।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति—SC/ST/Others.....
4. पूरा पता—ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं० ..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. बैंक का नाम:—.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में उन्नत/संकर नस्ल की दुधारु पशुओं की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. आवेदक/आवेदिका के साथ कुल गायों का फोटो देना अनिवार्य होगा।
11. हरा चारा उत्पादन करने हेतु उपलब्ध जमीन का रकवा (एकड़ में).....
12. मैं उपरोक्त योजना से लाभान्वित होकर अपने दुधारु गायों को हरा चारा काट कर खिला सकूँ।
13. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (राज्य/केन्द्र प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है/रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पाया गया/पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

लाभुक का हस्ताक्षर

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनुशंसा:—

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर

मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:—

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड प्रमुख का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:—

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन पत्र।

वित्तीय वर्ष—20.....—20.....

पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो

प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजनान्तर्गत 1. मिल्कींग मशीन 2. पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट 3. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 4. डीप बोरिंग 5. काउ मैट की योजना हेतु 75% अनुदान (सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% लाभुक अंशदान उपलब्ध कराया जाना है। प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक किसी एक योजना के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जो लाभुक अंशदान देने में सक्षम हो एवं जिसकी स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुमानित इकाई दर (रु०)	सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए		एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए	
			75% सरकारी अनुदान	25% लाभुक अंशदान	90% सरकारी अनुदान	10% लाभुक अंशदान
1	मिल्कींग मशीन	₹120,000.00	₹90,000.00	₹30,000.00	₹108,000.00	₹12,000.00
2	पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट	₹100,000.00	₹75,000.00	₹25,000.00	₹90,000.00	₹10,000.00
3	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	₹25,000.00	₹18,750.00	₹6,250.00	₹22,500.00	₹2,500.00
4	डीप बोरिंग	₹100,000.00	₹75,000.00	₹25,000.00	₹90,000.00	₹10,000.00
5	काउ मैट	₹5,200.00	₹3,900.00	₹1,300.00	₹4,680.00	₹520.00

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:— मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजनान्तर्गत 1. मिल्कींग मशीन 2. पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट 3. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 4. डीप बोरिंग 5. काउ मैट, सभी योजना हेतु 75% अनुदान(सामान्य श्रेणी के सभी जाति के लिए) एवं 25% लाभुक अंशदान एवं 90% अनुदान (एस० सी०/एस० टी० एवं दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए) एवं 10% लाभुक अंशदान पर चयन के संबंध में।

### आवश्यक विवरणी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. उम्र.....जाति—SC/ST/Others.....
4. पूरा पता—ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....प्रखण्ड.....
5. आधार नं०..... (आधार की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
6. मोबाईल नं०.....(अनिवार्य है)
7. लाभुक अंशदान/बैंक ऋण लगाने हेतु स्वयं का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. बैंक का नाम:—.....शाखा.....खाता संख्या.....  
IFSC Code.....(बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
9. वर्तमान में उन्नत/संकर नस्ल की दुधारू पशुओं की संख्या.....गाय.....भैंस.....बछिया.....
10. आवेदक/आवेदिका द्वारा चयनित एक योजना का नाम .....(उपरोक्त योजना में से किसी एक ही योजना का चयन करना है)
11. आवेदक/आवेदिका के साथ कुल गायों का फोटो देना अनिवार्य होगा।
12. ग्राम सभा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त योजना (केन्द्र प्रायोजित/राज्य प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है/रही है वह सही है तथा इसमें कोई सूचना गलत पाया गया/पायी गयी तो मेरे आवेदन को रद्द समझा जाय।

लाभुक का हस्ताक्षर

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनुशंसा:—

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:—

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड प्रमुख का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:—

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।



# जिला गव्य विकास कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

“मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 20.....-20.....” अन्तर्गत तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण के तहत अनुदानित दर पर संतुलित पशुआहार, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर/अन्य मिनरल एवं शीतबद्धक सप्लीमेण्ट हेतु आवेदन।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

वित्तीय वर्ष 20.....-20..... में झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण के तहत अनुदानित दर पर संतुलित पशुआहार, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर/अन्य मिनरल एवं शीतबद्धक सप्लीमेण्ट में अपना पूर्ण विवरण के साथ आवेदन देते हुए लाभान्वित होना चाहता/चाहती हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....पिता/पति का नाम.....  
जाति श्रेणी (ST/SC/Others).....उम्र.....लिंग.....ग्राम.....  
डाकघर.....पंचायत.....प्रखण्ड.....  
जिला.....पिनकोड.....
2. मोबाईल संख्या.....(अनिवार्य है)।
3. मेरा आधार संख्या.....बैंक का नाम.....शाखा.....  
खाता संख्या.....IFSC Code.....  
(बैंक खाता व आधार का स्वहस्ताक्षरित स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करें)।
4. (क) परिवार के मुखिया का नाम व आवेदक/आवेदिका से संबंध.....  
(ख) परिवार में सदस्यों की संख्या (1) वयस्क.....(2) अवयस्क.....  
(ग) प्रगतिशील दूध उत्पादक/डेयरी उद्यमी/युवाशिक्षित बेरोजगार/स्वयं सहायता समूह/सखी मंडल के सदस्य है.....(लाभुक, स्व-अभिप्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करें)
5. (i) वर्तमान में दुधारू मवेशी की संख्या:-  
उन्नत दुधारू गाय की संख्या.....उन्नत दुधारू भैंस की संख्या.....  
(ii) वर्तमान में कुल दूध-उत्पादन (लीटर में).....  
(iii) दूध बिक्री की व्यवस्था.....स्थानीय/होटल/दूध संग्रहण को आपूर्ति.....दूध बिक्री दर.....रु0.  
(आवेदक स्व-अभिप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ-साथ अपना दुधारू पशु के साथ रंगीन फोटोग्राफ संलग्न करना अतिआवश्यक है)
6. आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, असत्य होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी/होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

## ग्राम सभा/पंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति.....  
पिता/पति का नाम.....ग्राम.....डाकघर.....  
पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पास दुधारू गाय.....एवं दुधारू भैंस.....अर्थात् कुल.....दुधारू पशु उपलब्ध है एवं इनके घर पर कुल.....लीटर दूध उत्पादन होता है, जिन्हें स्थानीय बाजार में बिक्री करते हैं, को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत संतुलित पशुआहार, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर/अन्य मिनरल एवं शीतबद्धक सप्लीमेण्ट का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयुक्त लाभुक हैं, इसलिए इन्हें ग्राम-सभा/पंचायत स्तरीय समिति के द्वारा चयन की जाती है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा:-

मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्रखण्ड प्रमुख का हस्ताक्षर  
एवं मुहर।

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा:-

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।